न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. SPL/2017

प्रार्थी

श्री प्रवीण कुमार पुत्र स्व. श्री वीसारामजी जाति सुथार निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री लक्ष्मणराम पुत्र स्व. श्री वीसाराम जाति सुथार निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री रमेश कुमार पुत्र स्व. श्री वीसाराम जाति सुथार निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. सुश्री बेबी पुत्री स्व. श्री वीसाराम जाति सुथार निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. ग्राम पंचायत झाडौली जरिए सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक पुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 26.12.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या चार सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 003547 दिनांक 20.03.2003 क्षेत्रफल 880 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक से चार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 003547 दिनांक 20.03.2003 क्षेत्रफल 880 वर्गफुट जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नैसर्गिक भाई–बहिन है, जिनके पिता श्री वीसाराम पुत्र श्री चमनाजी सुथार का देहान्त दिनांक 08.12.2015 को हो गया था। यह है कि ग्राम झाडौली में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का एक पुश्तैनी आवास गृह स्थित है, उक्त आवासीय मकान के पक्षकारान उनके पिता की मृत्यु उपरान्त वारिसान है। यह है कि गांव झाडौली में स्थित पुश्तैनी आवासीय मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या एक ने चोरी–छिपे एवं गलत तथ्य प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:46:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

ग्राम पंचायत झाडौली से अपने नाम जारी करवाया लिया, जिसको जारी करवाने का हक अधिकार अप्रार्थी संख्या एक को नहीं था। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने ग्राम पंचायत झाडौली में एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त पुश्तैनी कब्जेशुदा मकान पर उसका सौ वर्ष पुराना कब्जा है एवं मौका रिपोर्ट में भी यह अंकित है कि उक्त मकान नब्बे वर्ष पुराना निर्मित है। इस तरह प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या एक ने ग्राम पंचायत झाडौली के तत्कालीन पदाधिकारियों से मेल-मिलाप कर स्वयं के पक्ष में पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी करवाया है, जो पंचायती राज नियमों के विपरीत है। यह है कि उक्त पट्टा विलेख को जारी करने से पूर्व श्री वीसाराम सुथार के बयान नहीं लिए गए है एवं न ही उनसे कोई पूछताछ की गई है। यह है कि श्री वीसाराम के जीवनकाल में दिनांक 06.12.2004 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पुश्तैनी चल-अचल सम्पत्ति का विभाजन किया गया, जिसका एक लिखत तैयार भी किया गया, उक्त विभाजन अनुसार उपरोक्त पुश्तैनी मकान प्रार्थी के कब्जे अधिकार में रहा, जिसका वह उपयोग-उपभोग करता आ रहा है। यह सभी जानते हुए भी अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त पट्टा जारी करवाया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 003547 दिनांक 20.03.2003 क्षेत्रफल 880 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक से चार की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया। पूर्व में अप्रार्थी संख्या एक से चार को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके है। अतः अप्रार्थी संख्या एक से चार का जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है। अप्रार्थी संख्या एक से चार बहस हेतु नियत तिथि पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

अप्रार्थी संख्या एक को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, झाडौली द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार-

157.-पुराने गृहों का विनियमितिकरण- जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा-

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 को या उससे पूर्व संनिर्मित) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:46:32 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या एक को उक्त विवादित पट्टा संख्या 003547 दिनांक 20.03.2003 क्षेत्रफल 880 वर्गफुट ग्राम पंचायत, झाडौली द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक से तीन आपस में भाई–बहन है एवं उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पुश्तैनी भूखण्ड है, जिसकी पुष्टि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत झाडौली में प्रस्तुत आवेदन में की है एवं ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा मौका रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड पर 90 वर्ष पुराना पुश्तैनी मकान बना हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता स्व. श्री वीसाराम द्वारा दिनांक 06.12.2004 को अपने चल एवं अचल सम्पत्ति का विभाजन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य किया, जिसका एक लिखत विभाजन इकरारनामा तैयार किया गया, उसमें प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड प्रार्थी के हिस्से में दिया गया है, जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एवं गवाहों के हस्ताक्षर किए गए है। चूंकि उक्त विवादग्रस्त पट्टा दिनांक 20.03.2003 को ही अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी हो गया था, परन्तु उक्त पट्टे के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता श्री वीसाराम द्वारा किए गए विभाजन इकरारनामा दिनांक 06.12.2004 में किसी भी प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त पट्टे के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता श्री वीसाराम को कोई जानकारी नहीं थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्री वीसाराम की मृत्यु दिनांक 08.12.2015 को हुई थी, जबकि उक्त विवादित पट्टा श्री वीसाराम के जीवित रहते हुए दिनांक 20.03.2003 को अप्रार्थी संख्या एक का पुश्तैनी मकान मानते हुए जारी हुआ था परन्तु ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा पट्टा जारी करते हुए श्री वीसाराम से इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के कोई बयान या सहमति नहीं ली गई थी एवं न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह सावित होता हो कि उक्त पुश्तैनी भूखण्ड का पट्टा श्री वीसाराम की सहमति द्वारा ग्राम पंचायत झाडौली ने अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया था एवं न ही अप्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में कोई जवाब प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्री लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री वीसाराम के हक में जारी पट्टा संख्या 003547 दिनांक 20.03.2003 क्षेत्रफल 880 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:46:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner